पश्चिम मध्य रेलवे

सूचना

कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
कार्मिक शाखा, भोपाल
दिनांक 06/08/2019

कमांक:पमरे/का.भो/136/1/एक्ट.अप्रै./भर्ती/2018–19

Sr. DEE(TRS)/Sr. DME(D), ET
Sr. DEE(G), Sr. DME(CO), Sr. DEE(TRD), Sr. DEN(CO), Sr. DSTE(CO)/ BPL

विषय:– भोपाल मंडल में एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (**10th + ITI**) की विभिन्न ट्रैडो की प्रोविजनल चयन नामिका ।

संदर्भ:–1 इस कार्यालय का पत्रांक पमरे/का.भो/136/1/एक्ट.अप्रै./भर्ती. दि. 28/12/18 विज्ञापन क 01/2018–19 के द्वारा जारी विज्ञप्ति ।
2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2019

संदर्भित पत्र 1 द्वारा जारी विज्ञप्ति के संदर्भ में ऑनलाइन प्राप्त आवदेन पत्रों के अनुसार उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार प्रमाण पत्रों के सत्यापन/स्क्रीनिंग के लिए दि. 02/05/2019 से 10/05/2019 तक विभिन्न तिथियों में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल में निम्न ट्रैडो में बुलाया गया था । सक्षम अधिकारी द्वारा नामित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं । तदुपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संदर्भित पत्र 2 में जिन उम्मीदवारों को उपयुक्तता, रिक्तियों एवं मेरिट के अनुसार एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु प्रोविजनल रूप से नामिका पर रखा गया है। उनकी सूची विभागवार पत्र के साथ संलग्न है यदि उम्मीदवार प्रशिक्षण की प्रकिया के दौरान उक्त अधिसूचना में लागू नियम व शर्तों के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करता है तो उसका प्रशिक्षण स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं किसी भी अभिप्रेत गलती के लिए प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा । जिन उम्मीदवारों के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी रिमार्क दिया गया है उन्हें प्रशिक्षण से पूर्व आवश्यक रूप से इस कार्यालय में जमा करना होगा ।

उम्मीदवारों को रेल विभाग में संबंधित ट्रेड में केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नामिका जारी की जा रही है। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षुओं को रेल सेवा में नियमित नियुक्ति का दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

Apprenticeship Portal पर पत्र के साथ संलग्न सभी चयनित प्रशिक्षुओं को आरडीएडी, भोपाल से स्वीकृति मिलने के पश्चात पोर्टल पर उनके द्वारा Contract letter जनरेट करने पर ही मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल द्वारा एक्ट अप्रेटिस प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जायेगा। जिन चयनित उम्मीदवारों ने आरडीएटी भोपाल में अपना विधिवत पंजीयन कराकर पंजीयन कमाक अभी तक प्राप्त नहीं किया है वह तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण कर लेवें। अन्यथा उन्हें ऑनलाइन Offer letter नही भेजा जा सकेगा।

अभ्यार्थियों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा, जिसकी सूचना पुनः दी जायेगी।

संलग्नः–ट्रेड एवं विभागवार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं की सूची।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
प.म.रेल,भोपाल.

प्रतिलिपि– निदेशक, आरडीएटी, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
सहायक कार्मिक अधिकारी, टी/ईएल/कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
संबंधित मुख्य कार्यालय अधीक्षक (कार्मिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

06/08/19
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
प.म.रेल,भोपाल.

act app.letters